



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है स्रष्टाताली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/40/2013/एफ.सी. /1498

दिनांक: 29.1.2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय : आगरा में पॉवरग्रिड द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट आगरा- सीकर पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.3404 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना किसी वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-1358/11-सी-आगरा, दिनांक- 03.01.2014 एवं पत्र संख्या-286/11-सी-आगरा, दिनांक- 29.08.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-1548/11-सी-आगरा-132, दिनांक 18.03.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 11.07.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार आगरा में पॉवरग्रिड द्वारा 400 के0वी0 डबल सर्किट आगरा- सीकर पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.3404 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं शून्य वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है। यदि आवश्यक हो तो प्रभावित/अवरोधक 31 वृक्षों की Branch lopping करके पारेषण लाईन का निर्माण करा जाए।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रस्तावित वनभूमि को अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर वन महानिदेशक, वन , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, आरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्धक, टी०एल०सी०, पॉवरग्रिड कार्पो० आफ इण्डिया, 400 के०वी० स्विचिंग, शमशाबाद रोड, पो०- श्यामों, आगरा, उत्तर प्रदेश।
6. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के०)